



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

Kendriya Bhavan, 5th Floor, Section II, Alhuda, Lucknow-226021. Telephone: 2326699
Email: mce@moef.nic.in

ग.सं-२५६, मु.सं./२६/२०२१/ए.प.सी | 536

दिनांक: 27/09/22

प्रति

अतिरिक्त सचिव,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
केंद्र भवन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या: FP/UP/Road/121197/2021

विषय: धौली धरण सिंग, कामंड सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर म्या कैनाल की दाहिने पट्टी सिंगी 0 कैनेज 515'0 से 16340 तक लगभग मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० ससहित वनभूमि, जगद भेट वन प्रभाग में 846 हे० ससहित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 247 हे० ससहित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० ससहित वनभूमि के नैदानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 18873 वृक्ष, भेट वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/नौप एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे उखाड़ें। कुल 1,12,722 वृक्ष/पौधों के मात्र की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संचालक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रक 354/11-सी-FP/UP/Road/121197/2021 दिनांक 12/09/2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संश्लेष, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रक 178/81-2-2021-806(123)/2021 दिनांक 12/08/2021 का प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करे अतिरिक्त माध्यम से विषयवस्तु संबंध पर राज्य सरकार द्वारा अनुमति, अतिरिक्त, 1948 की धारा(2) के अंतर्गत कार्यवाही की प्रतिकृति प्रेषित की।

प्रकरण को दिनांक 15/09/2022 को लखनऊ में गैर-संरक्षित समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 70.1 UP) प्रस्तुत किया गया था। धौली धरण समिति के निर्णयानुसार अतिरिक्त वनभूमि पर प्रस्तावों के कारण पक्षों को (deferred पर दिया गया है। अब मूठ अमल पर सुनिश्चित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के शर्तों में निम्नलिखित सूचनाएं/प्रमाणों को उपलब्ध कराने का कष्ट करे जिससे सरकार को अपनी धौली धरण समिति (REC) की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

1. In lieu of 222.98 ha forest land proposed to be diverted, 223.00 ha non-forest land has been provided out of this, only 41.36 ha NFL is suitable for compensatory afforestation. Thus, the non-forest land needs to be rechecked and non-forest land suitable for plantation and adjoining to forest blocks needs to be provided. If NFL is not available then to compensate, plantation in double the area in degraded forest land needs to be proposed.

2. Since huge tree felling is involved thus to compensate this, plantation along road side needs to be taken up (either along the same road or along adjoining some other road)

TC

c.c./nodal
सा.
27/09/22

प्रदीप,

(सी०प्र० मंत्रालय)

उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (सहित प्रा.) :-

1. प्रधान मुख्य वन संचालक (विनय) दिनांक, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संचालक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खण्ड/विलडिंग) लोक निर्माण विभाग, भेट।
4. प्रान्तीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, भेट एवं गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एम०सी० क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को प्रेषित हेतु अपरमार्ग हेतु/अद्वैत पत्रावली।

27/09/22
(उप वन महानिरीक्षक)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1158/11सी- FP/UP/Road/121197/2021 दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 27/2022

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, सहारनपुर एवं भेट को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विनदुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रान्तीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, भेट, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा विनदुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (विलडिंग), लोक निर्माण विभाग, भेट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, लखनऊ
पत्रांक 830/14-10 दि० 27-9-22

प्रतिलिपि उपाधीन निदेशक, सा० व० प्रभाग (अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

मु० नगर को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र०, लखनऊ
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ